

तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड

02-विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2017-18) की प्रत्येक योजना के संबंध में सूचना :-

क्र० सं०	योजना का नाम	आउट ले (₹लाख में)		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत				
अनुदान सं०-11		-	-	-	-	-	-
01-	निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड। 2203-00-001-03-00	195.46	-	-	-	-	-
02-	राजकीय पालीटेक्निक संस्थान उत्तराखण्ड 2203-00-105-03-00	8565.30	-	राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में 13021 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिये गये।	एक वर्ष	राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तकनीकी रूप से ज्ञान कुशल बनाना जिससे कि सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।	निरन्तर
03-	अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता- के०एल० पालीटेक्निक को अनुदान 2203-00-104-03-00	310.00	-	के०एल० पालीटेक्निक, रुड़की में 320 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिये गये।	एक वर्ष	के०एल० पालीटेक्निक, रुड़की में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तकनीकी रूप से ज्ञान कुशल बनाना जिससे कि सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।	निरन्तर
04-	स्किल डेवलपमेंट योजना 2203-00-800-04-00	30.01	-	प्रदेश के बेरोजगार युवक-युवतियों को 6-6 माह के तकनीकी प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु स्किल डेवलपमेंट मिशन का सोसाइटी मोड में रजिस्ट्रेशन किया जाना है।	छः माह	तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिये कुशल बनाना।	13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि।
अनुदान सं०-031		-	-	-	-	-	-

क्र० सं०	योजना का नाम	आउट ले (₹लाख में)		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत				
05-	टी०एस०पी 2203-00-105-03-00	29.0	-	अध्ययनरत् अनु०जाति तथा जनजति के छात्र-छात्राओं को आधुनिक पुस्तकें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करायी गयी।	एक वर्ष	अनु०जनजति के छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्रदान करना।	शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराया गया है।
अनुदान सं०-011		-	-	-	-	-	-
06-	पालीटेक्निकों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण 4202-02-104-16-00	-	30.00	नव स्थापित पॉलीटेक्निकों के भवनों का निर्माण किया जाना है	एक वर्ष	निजी भवनों में संचालित संस्थानों में एआईसीटीई के मानकानुसार इंजी० पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना तथा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किया जाना आवश्यक है।	इस मद में बजट प्राविधान किया गया है, परन्तु बजट अवमुक्त नहीं किया गया है।
07-	केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजना (100 प्रतिशत) 4202-02-104-01-03	-	200.01	अपने आवास से दूर अध्ययनरत छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	एक वर्ष	छात्राओं के लिये आवासीय व्यवस्था होने से उनकी सुरक्षा तथा अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना।	-तदैव-
08-	राजकीय पालीटेक्निकों हेतु भवन निर्माण (नाबार्ड) 4202-02-104-17-00	-	1200.00	नवस्थापित 21 संस्थाओं में एआईसीटीई के मानकानुसार निर्माण कार्य हेतु।	एक वर्ष	एआईसीटीई की मान्यता तथा आवश्यक इंजी० पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु	शासन द्वारा बजट अवमुक्त किया गया है।
09-	एस०पी०ए० 4202-02-104-03-00	-	50.00	नवस्थापित 23 राजकीय पालीटेक्निकों के भवनों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु	एक वर्ष	एआईसीटीई की मान्यता तथा आवश्यक इंजी० पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु	इस मद में बजट प्राविधान किया गया है, परन्तु बजट

क्र० सं०	योजना का नाम	आउट ले (₹लाख में)		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत				
							अवमुक्त नहीं किया गया है।
10-	सी०डी०टी०पी० 2203-00-105-01-02	-	600.00	सी०डी०टी०पी० योजना के अन्तर्गत DROP OUT गरीब छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु।	एक वर्ष	अध्ययनरत् छात्रा-छात्राओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने हेतु।	शासन द्वारा बजट अवमुक्त किया गया है।
अनुदान सं०-030		-	-	-	-	-	-
11-	(एस०सी०एस०पी०) 4202-02-104-03-00	-	50.00	विभिन्न राजकीय पालीटेक्निकों में अध्ययनरत् अनु० जाति के छात्रों के प्रशिक्षण मशीनरी/कम्प्यूटर आदि का व्यवस्था हेतु।	एक वर्ष	अध्ययनरत् छात्रा-छात्राओं को आधुनिक उपकरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोजगारपरक बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके।	शासन द्वारा बजट अवमुक्त किया गया है।
अनुदान सं०-031		-	-	-	-	-	-
12-	टी०एस०पी० 4202-02-104-03-00	-	50.00	विभिन्न राजकीय पालीटेक्निकों में अध्ययनरत् अनु० जाति के छात्रों हेतु पुरुष/महिला भवनों का निर्माण/सुदृढीकरण हेतु।	एक वर्ष	अध्ययनरत् छात्रा-छात्राओं को आधुनिक उपकरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोजगारपरक बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके।	शासन द्वारा बजट अवमुक्त किया गया है।